सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 269/2016

बउनवान

1. बाबूलाल आयु 66 वर्ष
2. हरनारायण आयु 55 वर्ष
3. श्योजी आयु 50 वर्ष
4. पप्पू आयु 48 वर्ष
5. बादामबाई आयु 45 वर्ष
6. गीताबाई आयु 40 वर्ष
7. धापूबाई आयु 35 वर्ष

पुत्र पुत्रियां गोमदा जातियान नायक निवासीगण कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध इंतकाल नं. 1542 ग्राम कड़ैयानोहर तह. छबड़ा दिनांक 15.06.2016 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रमाणित किया गया

निर्णय दिनांक 21.04.2017

उपस्थितः 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल अभिभाषक
2. श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अपीलांटगण)
3. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 1542 ग्राम कड़ैयानोहर तह. छबड़ा दिनांक 15.06.2016 संक्षेप में इस प्रकार है कि इंतकाल में दर्ज विवादित आराजी के अपीलांटगण रेकार्डेड खातेदार हैं तथा अपीलांटगण द्वारा एसबीबीजे (ए.डी.बी.) ब्रांच छबड़ा से उक्त खाते व कब्जे की आराजी को रहन रखकर कृषि ऋण भी प्राप्त किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट द्वारा खिलाफ कानून अपीलांटगण के खाते की आराजी खाते से हटाकर सिवायचक खाता दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 15.06.2016 को दिया है इस कारण अपीलांटगण को अधिकारों से वंचित होना पडेगा। रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न देकर प्रशासनिक प्रार्थना पत्र राज्यमंत्री उपनिवेदशन अनाधिकृत व्यक्ति गिर्राज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आदेश पुराने प्रकरण संख्या 151/01 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 को आधार बनाया गया है उक्त निर्णय की कार्यवाहियां राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन रही एवं जैरकार है तथा निर्णय दिनांक 24.03.2004 की डिक्री की पालना/इजराय पेश नहीं की गई एवं मियाद समाप्त हो गई तथा अपीलांटगण को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया एवं मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय राजनैतिक कारणों से पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 इंतकाल नं. 1542 ग्राम कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तथा मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब अपील इस आशय का पेश हुआ कि प्रकरण

में आर.टी.ए. की धारा 175 में धारा 42 में भूमि राजहक में दर्ज हुई है। उपखण्ड न्यायालय छबड़ा में जानकीलाल, प्रेमलाल द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया, इस दावे में तहसीलदार को धारा 175 की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार छबड़ा द्वारा धारा 175 का प्रकरण तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा में पेश करने पर भूमि राजहक में दर्ज करने के आदेश हुए हैं। इस आदेश की अपील किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं की गई। अन्य दावे चलने से इसकी पालना नहीं हुई। अब इस प्रकरण में कोई दावा व अपील लम्बित नहीं होने से नियमानुसार पालना कर भूमि सरकारी दर्ज की गई। इस प्रकरण में जो भी दावे व अपील हुई है वह आर.ए.ए. कोटा में श्री गोमदा नायक द्वारा व राजस्व मंडल अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिंगल बेंच व डबल बेंच में अपील भूमि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु क्रेता श्री जानकीलाल, प्रेमलाल द्वारा की गई है जो खारिज हुई है। इंतकाल नं. 1542 ग्राम कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा दिनांक 15.06.2016 नियमानुसार खोलकर तस्दीक किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दोराने बहस अभिभाषकगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 24.03.2004 की पालना में दिनांक 15.06.2016 को 12 वर्ष की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात इंतकाल खोला गया है जो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 For the execution of any decree (other than a decree granting a mandatory injuction) or order of any Civil Court is Twelve Years.से बाधित है। अपीलाधीन इंतकाल उक्त निर्धारित 12 वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पश्चात है जो निरस्तनीय है। इंतकाल खोलने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने Execution Proceedure भी नहीं अपनाया तथा मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध इंतकाल तस्दीक कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रकरण में धारा 175 आर.टी.ए. के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय छबड़ा के आदेश की पालना में इंतकाल नं. 1542 ग्राम कड़ैयानोहर तहसील छबड़ा दिनांक 15.06.2016 नियमानुसार खोलकर तस्दीक किया गया है। पूर्व में अन्य न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहने से उक्त आदेश की पालना नहीं की जा सकी थी। अपीलांटगण द्वारा उक्त इंतकाल से प्रभावित आराजीयात पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु जो वाद/अपील/ रिट पिटिशन पेश की वे सभी खारिज हो चुकी है। अतः अपील अपीलांटगण खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु जो वाद/अपील/ रिट पिटिशन पेश की वे सभी खारिज हो चुकी है। तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2004 के विरूद्ध अपीलांटगण ने कोई चाराजोही नहीं की है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां